

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.2(4)न्याय/2019

जयपुर दिनांक 31.10.2022

::अधिसूचना::


इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2019 दिनांक 21.01.2020 एवं प.1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 की निरन्तरता में द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु राजस्थान राज्य के जिला न्यायाक्षेत्र मुख्यालय पर स्थापित समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को उक्त अधिनियम के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकारिता वाला न्यायालय एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें केवल उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिन्हें संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. समस्त जिला कलक्टर/समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश/समस्त पुलिस अधीक्षक।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अजित रमन)
संयुक्त शासन सचिव